(67)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 379–पीबीआर/2011 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–11–2010 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 503/2007–08/अपील.

गोपालसिंह पुत्र मंगलिया
निवासी ग्राम जगनापुरा
तहसील व जिला ग्वालियर ....आवेदक

विरूद्ध

जामित्री बाई पत्नी हरीसिंह
निवासी ग्राम जगनापुरा
तहसील व जिला ग्वालियर ....अनावेदिका

श्री जगदीश श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री सी.एम. गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 12/9/12 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–11–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदक द्वारा नामान्तरण पंजी दिनांक 20–10–03 पर पारित आदेश दिनांक 6–12–03 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत किये जाने पर अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण कमांक 16/2003–04/अपील दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान उनके समक्ष अष्टम अपर जिला न्यायालय ग्वालियर के आदेश दिनांक 1–3–06

की प्रति प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 2–8–06 को आदेश पारित कर अपील इसी स्तर पर समाप्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 15–11–2010 को ओदश पारित कर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा डब्ल्यू.पी. 1046/08 में पारित आदेश दिनांक 4–4–08 के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण समाप्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी को उनके समक्ष व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 41 नियम 27 के आवेदन पत्र का निराकरण करना चाहिए था, परन्तु उनके द्वारा बिना आवेदक को सुनवाई का अवसर दिये अपील समाप्त करने में अवैधानिक कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका कमांक 1046/08 में नामान्तरण कार्यवाही रोके जाने सम्बंधी कोई भी स्थगन नहीं दिया गया है, इसके बावजूद भी अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण समाप्त करने में त्रुटि की गई है । तर्क में यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतरिम आदेश पारित किया गया था । अतः उक्त आदेश के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण समाप्त करने में विधि विपरीत कार्यवाही की गई है, क्योंकि व्यवहार न्यायालय द्वारा प्रकरण में अंतिम आदेश पारित नहीं किया गया है । उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अष्टम अपर जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है । अतः उक्त आदेश के प्रकाश में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण समाप्त करने में विधिसंगत कार्यवाही की गई है । यह भी कहा गया कि चूंकि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरण में स्थगन दिया गया है, ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण समाप्त करने में कोई भी त्रुटि नहीं की गई है, क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय का आदेश व्यवहार न्यायालय सहित राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि चूंकि स्वत्व का निराकरण माननीय उच्च न्यायालय से होना है, अतः अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में कार्यवाही करने का कोई औचित्य नहीं है. ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा व्यवहार न्यायालय में प्रकरण प्रचलित होने से अपील समाप्त की गई है और अपर आयुक्त द्वारा भी माननीय उच्च न्यायालय में रिट याचिक प्रचलित होने से प्रकरण समाप्त किया गया है, जबकि व्यवहार न्यायालय ने उनके समक्ष प्रचलित व्यवहार वाद में केवल कब्जे के सम्बन्ध में स्थगन दिया गया है, राजस्व न्यायालयों की कार्यवाही के सम्बन्ध में कोई स्थगन नहीं दिया गया है । इस प्रकार माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित याचिका की विषय–वस्तु भी इस प्रकरण से भिन्न है । यदि यह मान भी लिया जाये कि व्यवहार न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय में प्रकरण लम्बित हैं और उनमें स्थगन दिया गया है, तब भी राजस्व न्यायालय प्रकरण समाप्त नहीं कर सकते, बल्कि प्रकरण में प्रचलित कार्यवाही स्थगित की जा सकती है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश अवैधानिक एवं अन्यायपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य हैं ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–11–2010 एवं अनुविभागीय अधिकारी, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 2–8–06 निरस्त किये जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वे व्यवहार न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय के आदेशों का सही रूप से अवलोकन कर उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर देकर प्रकरण में पुनः निर्णय लेवें ।

यह आदेश प्रकरण कमांक निगरानी 380–पीबीआर/2011 गोपाल सिंह पुत्र मंगलिया निवासी ग्राम जगनापुरा विरूद्ध सीताराम पुत्र हरीकिशन (मृत) आदि पर भी लागू होगा । अतः आदेश की एक प्रति उक्त प्रकरण में संलग्न की जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर